न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. बृजलाल पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट निवासी चक 4 बी.पी.एम. ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. काशीराम पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट निवासी चक 4 बी.पी.एम. ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. भादर राम पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट निवासी चक 4 बी.पी.एम. ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. कानाराम पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट निवासी चक 4 बी.पी.एम. ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. राम कुमार पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट निवासी चक 4 बी.पी.एम. ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
6. राधा पत्नी श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी रामबाग तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

-प्रार्थीगण-

बनाम

1. मुर्तिकौर पत्नी श्री शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह जाति जटसिख निवारसी चक 4 बी.पी.एम. ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति :- 1. साहिब बाघला प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांकः-02/02/2022

प्रकरण संख्या :-04/2021

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थीगण के पति/पिता भोमाराम के नाम से वाके चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगरं का मुरब्बा नं. 52 पत्थर नं. 127/419 का किला नं. 22, 23का 2 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के पति/पिता भोमाराम का देहान्त हो चुका है। भोमाराम के देहान्त के बाद प्रार्थीगण ही भोमाराम के जायज विधिक वारिसान है। अप्रार्थीया संख्या 1 के पति शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह के नाम से इसी मुरब्बा के किला नं. 16 ता 19, 24, 25 में कुल 1.518 हैक्टेयर रकबा खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीया के पति शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह का देहान्त हो चुका है। मृतक शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह के देहान्त के बाद शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह की कृषि भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करना

लगातार.........2

उपखण्ड अधिकारी विजयनगर

Prikar
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

उचित समझते है कि प्रार्थीगण के पिता स्व. भोमाराम व अप्रार्थीया के पति शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपनी-अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने के कारण स्व. भोमाराम व स्व. शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह द्वारा आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व अपनी-अपनी सहमति से एक दुसरे को अपनी-अपनी कृषि भूमि में से रास्ता दिया गया था। जिसके अनुसार स्व. शमेशर सिंह उर्फ मिठु सिंह को स्व. भोमाराम ने अपनी कृषि भूमि के किला नं. 22 व 23 में से 0.025 है. लम्बा रास्ता (पूर्व से पश्चिम) किला नं. 18 व 19 के साथ चिपता हुआ उत्तर दिशा में तथा स्व. भोमाराम को स्व. शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह ने इसकी एवज में अपनी कृषि भूमि के किला नं. 24, 25 में से 0.025 है. लम्बा रास्ता (पूर्व से पश्चिम) हेतु भूमि दी थी। तथा भूमि की किस्म के अनुसार स्व. भोमाराम द्वारा स्व. शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह को 10,000/- रूपये अखरे दस हजार रूपये अतिरिक्त देना तय किया गया था। जिसमें से 5,000/- रूपये अखरे पांच हजार रूपये उसी रोज रोबरू गवाहान स्व. भोमाराम द्वारा स्व. शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह को अदा कर दिये तथा एक दूसरे को रास्ता वास्ते दी गई जगह का कब्जा भी मौका पर एक दूसरे को रोबरू गवाहान के दे दिया गया तथा बकाया 5,000/- रूपये वर वक्त बैयनामा दिनांक 25/05/2019 को अदा करना तय किया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 26/05/2016 को दोनों ने आपसी सहमति से एक दस्तावेज इकरारनामा रास्ता तबादला तहरीर कर एडवोकेट एवं नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। प्रार्थीगण के पति/पिता स्व. भोमाराम व अप्रार्थीया के पति स्व. शमशेर सिंह उर्फ मिठु सिंह द्वारा अपने जीवन काल में एक दूसरे को रास्ते का तबादला कर एक दुसरे को रास्ता दिया गया तथा उसी अनुसार भोमाराम तथा शमशेर सिंह अपने जीवन काल में तथा उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान भी उसी अनुसार उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। दस्तावेज इकरारनामा रास्ता तबादला बाबत दिनांक 26/05/2016 के अनुसार तबादला में दी गई रास्ता की भूमि का बैयनामा भोमाराम तथा शमशेर सिंह द्वारा एक दुसरे के पक्ष में दिनांक 25/05/2019 को तहरीर कर पंजीकृत करवाना था तथा भोमाराम द्वारा बकाया 5,000/- रूपये शमशेर सिंह को अदा करने थे लेकिन इससे पूर्व ही दोनों का देहान्त हो जाने के कारण बैयनामा नहीं हो सका तथा उक्त रास्ता की भूमि को रास्ता के रूप में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो सका तथा बाद में उक्त भूमि पर बैंक ऋण होने के कारण बैयनामा नहीं हो सका था। लेकिन उक्त रास्ते का उपयोग गत 15 वर्षो से निर्वाध रूप से ले आ रहे है तथा प्रार्थीगण भी चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 52 प.नं. 127/419 किला नं. 24, 25 में से 0.025 है. लम्बा रास्ता (पूर्व से पश्चिम) का उपयोग करते हुए अपनी कृषि भूमि में आते जाते है तथा किला नं. 24, 25 से होकर सरकारी रास्ते से जुड़ते है तथा इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि जिन्स, कृषि उपकरण व अन्य कृषि सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु इसी रास्ता से आवागमन करते है तथा मौका पर प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि फसल बिजांद कर रखी है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीया संख्या 1 गत कुछ समय से छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रार्थीगण के साथ विवाद रखने लग गई है तथा आये रोज विवाद उत्पन्न करती रहती है। जिसके चलते आज से लगभग एक माह पूर्व अप्रार्थीया संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि चक 4 बी.पी.एम. तहसील

लगातार.....3

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

श्री विजयनगर का मु.न. 52 प.न. 27/419 किला नं. 24, 25 में से 0.025 है. लम्बा रास्ता (पूर्व से पश्चिम) को बन्द कर दिया तथा रास्ता बन्द होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आना-जाना व अपनी फसल की सार सम्भाल करना बन्द हो गया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा नायब तहसीलदार जैतसर के समक्ष दिनांक 14/12/2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी तो हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट दर्ज किया कि "किला नं. 24, 25 में एक-एक बिस्वा रास्ता चल रहा था जिसे किला नं. 24 व 25 के काश्तकार ने बन्द कर दिया है तथा किला नं. 22 व 23 के काश्तकार बृजलाल आदि के पास आने-जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है मौका पर किला नं. 24 व 25 के काश्तकार को रास्ता चालु करने बाबत कहा गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया।" इसके उपरान्त भी जब अप्रार्थीया संख्या 1 ने रास्ता नहीं खोला तो प्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 17/12/2020 को श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया गया तथा प्रार्थीगण द्वारा जाति बिरादरी के लोगों की पंचायत की । जिस पर अप्रार्थीया संख्या 1 ने एक बार रास्ता खोल दिया तथा मौका पर चालू है। अप्रार्थीया संख्या 2 उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थीगण के साथ रंजिश रखने लग गई है तथा रंजिश के परिणाम स्वरूप अप्रार्थीया संख्या 1 हर समय प्रार्थीगण को धमकी देती रहती है कि वह उक्त रास्ता जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते-जाते है, को बन्द कर देगी। जब कि उक्त रास्ता आज भी मौका पर चालू है। जिसे अप्रार्थीया संख्या 1 बन्द करने को आमादा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने दिनांक 31/12/2020 को गांव में पंचायत की तथा पंचायत के व्यक्तियों ने अप्रार्थीया संख्या 1 को समझाया कि स्व. भोमाराम व स्व. शमशेर सिंह द्वारा अपने जीवन काल में रास्ता का तबादला किया था उसी अनुसार रास्ता मौका पर चल रहा है, को अप्रार्थीया संख्या 1 बन्द ना करे। लेकिन अप्रार्थीया संख्या 1 ने किसी की बात नहीं सुनी तथा पंचायत के समक्ष ऐलानियां धमकी दी कि वह शीघ्र ही उक्त चालू रास्ते को बन्द कर देगी। प्रार्थीगण से जो होता है वो कर ले। बस यही वाद कारण है। जो प्रार्थीगण को अप्रार्थीया संख्या 1 के खिलाफ प्राप्त है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि वाके चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 52 प.नं. 127/419 का किला नं. 22, 23 में व ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थीया संख्या 1 की कृषि भूमि वाके चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 52 प.नं. 127/419 का किला नं. 24, 25 में अरसा 10 वर्षो से चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। आदि का प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया संख्या 1 को बार बार अवसर प्रदान किया गया परन्तु अप्रार्थीया संख्या 1 उपस्थित नहीं आयी। इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी पैरोकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी अनुसार रास्ते की परम आवश्यकता है। जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रकरण दर्ज होने से पूर्व

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग किया जा रहा था। प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम व लघुतम रास्ता है। प्रस्तावित निकटतम रास्ता व्यवहारिक है। प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति पर किसी प्रकार के नुकसान की सम्भावना नहीं है। जोत तक पहुंचने का सम्पूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि से होकर गुजरता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने एवं नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी मनन करनें उपरान्त पाया कि चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 52 प.नं. 127/419 का किला नं. 22, 23 में व ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थीया संख्या 1 की कृषि भूमि वाके चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 52 प.नं. 127/419 का किला नं. 24, 25 से चल रहा रास्ता प्रार्थीगण के रकबा के निकटतम होगा। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 52 प.नं. 127/419 का किला नं. 24, 25 प्रत्येक में एक-एक बिस्वा कुल 0.025 है. भूमि (पूर्व से पश्चिम) पत्थर लाईन के साथ साथ आम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते में आई भूमि के बदले में प्रार्थीगण भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दोगुणा राशि अप्रार्थीया को देगा। तहसीलदार श्री विजयनगर को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि की भली भांति पैमाइश की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन करे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02/02/2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner